जेल लोक अदालत: 3 बंदियों ने कबूला जुर्म, किए गए रिहा

भास्कर न्यूज | जगदलपुर

केंद्रीय जेल जगदलपुर में रविवार को राज्यस्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा कंवर और मीनाक्षी नाग ने संबंधित मामलों की सुनवाई की। जेल लोक अदालत में 9 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें लेबो बघेल, मनीराम पोडियामी व अमित राय ने अपने अपराध कबूला। इसके आधार पर उनके प्रकरणों का निराकरण कर उन्हें जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित कर उनकी रिहाई की गई। जेल लोक अदालत में सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य, सहायक जेल अधीक्षक ए कुजुर, कल्याण अधिकारी सहित अन्य मौजूद थे।